महत्वपूर्ण एवं खास

सुबह 07 से 09 बजे तक संचालित होंगे आंगनबाड़ी केंद्र

रायगढ़। ग्रीष्म काल में आगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन के बारे में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग एल.आर.कच्छप ने बताया कि भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए आंगनबाड़ी संचालन की अवधि सुबह 07 बजे से 09 तक कर दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि ग्रीष्म काल में आंगनबाड़ी संचालन की अवधि को 04 घण्टे निर्धारित करते हुए 01 जुलाई तक प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक करने हेतु निर्देश जारी किया गया था। वर्तमान में भीषण गर्मी होने कारण बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मात्र इस भीषण गर्मी में आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन का समय प्रात: 7 बजे से 9 बजे तक किया गया है। गर्मी कम होने पर पुन: 01 जुलाई तक आंगनबाडी केन्द्रों का संचालन प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक किया जायेगा। 01 जुलाई के पश्चात आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन का समय पूर्ववत 9.30 बजे से 3.30 बजे तक किया जायेगा।

4 जून मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित

रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत 4 जून को मतगणना होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 जून मतगणना स्थल क्षेत्र नगर निगम रायगढ़ अंतर्गत संचालित देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट),विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ), होटल बारों (एफ.एल.-3) तथा देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त शुष्क दिवस में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। जिले के मदिरा दुकानें जो 4 जून को बंद रहेगी। इनमें देशी मदिरा दुकानों में चक्रधर नगर, बड़े रामपुर, सावित्री नगर, बोईरदादर, कोढ़ीपारा, कम्पोजिट बड़पारा, कम्पोजिट मटन मार्केट शामिल है। इसी तरह विदेशी मदिरा दुकानों में चक्रधर नगर, बड़े रामपुर, सावित्री नगर, बोईरदादर, कोढ़ीपारा, जूटमिल, विजयपुर, प्रीमियम वि.म.दु. केवड़ाबाड़ी तथा एफएल होटल बार में केकी बार, किनारा बार, ट्रिनिटी बार होटल ग्रेण्ड रायगढ़, होटल अंश इंटरनेशनल रायगढ़ तथा एकार्ड चैन ऑफ होटल्स रायगढ़ शामिल है।

भीषण गर्मी एवं लू को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर स्थगित

रायगढ़। संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण द्वारा जारी आदेश के परिपालन में प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू को मद्देनजर रखते हुए जिले के रायगढ़ स्टेडियम बोईरदादर एवं स्पोट्र्स क्लब, रायगढ़ में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यंत स्थगित किया जाता है।

स्वास्थ्य केन्द्रों के भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों के भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा हेतु आज स्वास्थ्य कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहरी क्षेत्र के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सूचकांको में कमी को 15 दिवस के भीतर पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त बैंठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री रंजना पैंकरा, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक पी.डी.बस्तिया, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, शहरी प्राथ.स्वा.केन्द्र के समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जिला डाटा प्रबंधक, समस्त स्टाफ नर्स, सुपरवाईजर, सी.एच.ओ., ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू एवं जे.एस.ए.उपस्थित रहे।

भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सभी जरूरी एहतियात बरतें- कलेक्टर

- उद्योगों में श्रमिकों और ट्रांसपोर्ट स्टाफ के लिए बैठने की जगह, पीने के पानी के इंतजाम के दिए निर्देश
- अस्पतालों, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बड़े भवनों के इलेक्ट्रिकल और फायर ऑडिट की जांच के लिए किया निर्देशित
- विस्फोटकों के भंडारण की जांच के लिए कलेक्टर गोयल ने सभी एसडीएम को दिए निर्देश
- लोगों के वितरण के लिए अस्पतालों में ओआरएस का पर्याप्त स्टॉक रखने और प्याऊ घर में भी ओआरएस वितरित करने के दिए निर्देश
- खाद बीज उठाव की कलेक्टर गोयल ने की समीक्षा, प्रगति लाने किया निर्देशित
- कलेक्टर गोयल ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने तेज गर्मी और हीट वेव को ध्यान में रखते हुए सभी ऐहतियात बरतने के निर्देश आज समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने खास तौर पर उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उद्योगों में 11 बजे से 3 बजे तक कोल और फ्लाई ऐश डिस्पैच न करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी, खनिज व पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में संचालित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के साथ लोडिंग-अनलोडिंग के लिए आने वाले ट्रकों के स्टाफ के लिए छायायुक्त बैठने की जगह, पीने का पानी, कूलर इत्यादि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसमें कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

कलेक्टर गोयल ने इसके साथ ही जिले में विस्फोटक के भंडारण के बारे में जानकारी ली। रिहायशी इलाकों में भंडारण की अनुमति नहीं है, सभी एसडीएम इसकी जांच करवा लें। कहीं पर भी अवैध भंडारण होने पर सख्त कार्यवाही करें। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कहा कि तेज गर्मी के कारण सभी अस्पतालों में उपकरण पूरी क्षमता से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने इसे ध्यान में रखते हुए सभी अस्पतालों का इलेक्ट्रिकल और फायर ऑडिट जरूर हो। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि अस्पताल संचालकों को इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दें। इसी के साथ माल, शॉपिंग व ऑफिस कॉम्प्लेक्स सहित अन्य बड़े भवनों के भी फायर और इलेक्ट्रिकल ऑडिट के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को इसका निरीक्षण करने के लिए निर्देशित भी किया। बिजली और पीएचई विभाग को फील्ड स्टाफ को अलर्ट रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नौतपा के कारण अभी लू का माहौल है। ऐसे में पूरी तरह से सतर्कता बरतना आवश्यक है। उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरा को नि:शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जिससे लोगों को इस भीषण गर्मी में आश्रय मिल सके।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने समय-सीमा की बैठक में तहसीलवार लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि अब समय-सीमा में प्रकरणों को निराकृत करें। उन्होंने निर्माण विभागों से बजट में शामिल कार्यों की जानकारी ली। जिससे आचार संहिता की समाप्ति उपरांत उन कार्यों में प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। मानसून में जिले में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर भी कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सभी संबंधित विभागों से जानकारी ली। उन्होंने लक्ष्य अनुसार पौधे तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उद्योग परिसर में वृक्षारोपण के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया। कलेक्टर गोयल ने पंचायतों में शासकीय भूमि में जो मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं उनके संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह पंचायत के लिए आय का स्त्रोत बन सकता है।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टायलो मण्डावी, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, अपर कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

खाद बीज के उठाव की बढ़ाएं गति- कलेक्टर गोयल ने जिले में खाद बीज उठाव की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने लैलूंगा और धरमजयगढ़ में कम उठाव को लेकर वहां के आरएईओ को फील्ड में किसानों को खाद बीज के उठाव के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएमओ नान और उप संचालक कृषि को इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने और जिन समितियों में औसत से कम उठाव हुआ है वहां विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा।

स्वास्थ्य विभाग को निर्देश, लोगों को मुहैय्या कराएं ओआरएस, अस्पतालों में रखें पर्याप्त स्टॉक

कलेक्टर गोयल ने सीएमएचओ डॉ चंद्रवंशी को निर्देश देते हुए कहा कि आम लोगों को ओआरएस उपलब्ध करवाएं। इसके लिए पीएचसी, सीएचसी व शासकीय अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ओआरएस का स्टॉक रखने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आमजन हेतु पेयजल के लिए जितने भी प्यायु चलाए जा रहे हैं वहां भी ओआरएस प्रदान करने के लिए कहा।

ग्रीष्म काल में हैण्डपंप बंद होने की सूचना के लिए जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन

- पेयजल समस्या के निवारण हेतु दूरभाष नंबर 07762-222972 पर कर सकते है संपर्क, 30 जून तक रहेगा प्रभावशील
- शिकायत/सुझाव के लिए विभागीय टोल फ्री नंबर 18002330008 में भी कर सकते संपर्क

रायगढ़

ग्रीष्म काल में हैण्डपंप बंद होने या जलापूर्ति बाधित होने की सूचना के लिए जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिससे संपर्क प्रभारी अधिकारी को शिकायत एवं सुझाव दे सकते है एवं समस्या का निवारण किया जा सकता है। इनमें विकासखण्ड रायगढ़ एवं पुसौर के लिए सहायक अभियंता रमाशंकर कश्यप मोबा. नं.9131733921 को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह विकासखण्ड खरसिया हेतु प्रभारी सहायक अभियंता कु.उमा सिदार मोबा. नं.7748023595, विकासखण्ड घरघोड़ा, तमनार एवं लैलूंगा हेतु सहायक अभियंता आर.के.टण्डन मोबा.नं.75667-05216 तथा विकासखण्ड धरमजयगढ़ हेतु प्रभारी सहायक अभियंता जे.सी.भगत मोबा नं.91310-44438 को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

पेयजल समस्या के लिए दूरभाष नंबर 07762-222972 में कर सकते है संपर्क

ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण एवं सुचारू रूप से संचालन/संधारण हेतु जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का दूरभाष नंबर 07762-222972 है। यह प्रकोष्ठ 30 जून तक के लिए प्रभावी रहेगा।

सहायक अभियंता रमाशंकर कश्यप मोबा. नं.79877-18375 को नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह सहायक मानचित्रकार बाबू लाल पटेल मोबा.नं.97701-94004 तथा सहायक मानचित्रकार आर.के.खलखो मोबा. नं.88393-90621 को नियंत्रण प्रकोष्ठ सहायक बनाया गया है। प्रकोष्ठ प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त विभागीय टॉल फ्री नंबर 18002330008 में भी शिकायत/सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे।

कलेक्टर गोयल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ली बैठक

- मतगणना के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की दी विस्तृत जानकारी

रायगढ़

कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में मतगणना के संबंध में अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं मतगणना दिवस की प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी नियत समय में मतगणना कक्ष में पहुंचना सुनिश्चित करें, ताकि मतगणना का कार्य नियत समय में प्रारंभ हो सकें। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों को कहा कि सभी केआईटी स्थित मतगणना कक्ष एवं रूट का अवलोकन कर लें। जिससे मतगणना दिवस पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर डॉ.रवि मित्तल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सारंगढ़ धर्मेश कुमार साहू, एसडीएम सारंगढ़ वासु जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर प्रदीप कुमार साहू, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ अनिकेत साहू सहित समस्त एआरओ जुड़े रहे।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गणन अभिकर्ता, अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य है। इसी प्रकार मतगणना कक्ष में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गुटका, तंबाकू निषेध रहेगी। कलेक्टर गोयल ने कहा कि मतगणना स्थल में आयोग द्वारा न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने ने मतगणना कक्ष में संयम शांति के साथ सहयोगात्मक आचरण रखने का आग्रह किया।

इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ संसदीय क्षेत्र क्रमांक 2 के सभी विधानसभाओं की मतगणना 4 जून को होगी। जिसमें जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव का शास. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोड़काचौरा, गम्हरिया जिला जशपुर में होगी। इसी प्रकार लैलूंगा, रायगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़ का किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गढ़उमरिया में प्रात: 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना एवं प्रात: 8.30 बजे से ईवीएम से मतगणना प्रारंभ होगी तथा विधानसभा सारंगढ़ का कृषि उपज मंडी सारंगढ़ में प्रात: 8 बजे से ईवीएम से मतगणना प्रारंभ होगी। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़ विधानसभा के लिए 14-14 टेबल की व्यवस्था की गई है तथा विधानसभा क्षेत्र 17-सारंगढ़ में 21 टेबल की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार तीनों जिलों के डाक मत पत्र, ईटीपीबीएस गणना हेतु केआईटी में अलग कक्ष के साथ 10 टेबल की व्यवस्था की गई है। अपर कलेक्टर पाण्डेय ने सुरक्षा के संबध में जानकारी देते हुए कहा कि तीन लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार मतगणना कक्ष में बेरीकेटिंग की व्यवस्था की गई जो पारदर्शी है, जिससे सभी गतिविधियां स्पष्ट दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि तीनों जिले की पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएस की मतगणना केआईटी में की जाएगी। इस दौरान उन्होंने चक्रवार परिणाम की घोषणा, मतगणना हाल के अंदर के आचरण, मतगणना कक्ष की गोपनीयता बनाए रखने एवं निर्वाचन व्यय लेखा के संबध में भी जानकारी दी।

धूप से बचने रैन बसेरों में है रुकने की निशुल्क व्यवस्था

- प्याऊ में भी मिलेगा ओआरएस वाला पानी, कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश
- होटलों को निर्देश, ग्राहकों को ताजा खाना ही परोसें
- लू और गर्मी से बचाव के जरूरी सावधानी रखने दिशा-निर्देश जारी

रायगढ़

पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़े तापमान से राहत के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने नगरीय क्षेत्रों में भी सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में राहगीरों के धूप से बचाव के लिए रैन बसेरे में नि:शुल्क विश्राम की व्यवस्था की गई है। इसी तरह लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर पियाऊ संचालित किए जा रहे हैं। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने स्वास्थ्य विभाग को इन पियाऊ में डिहाइड्रेशन से बचाने ओआरएस के पैकेट भी उपलब्ध करवाने के निर्देश समय-सीमा की बैठक में दिए। लू एवं धूप से बचने के लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर मुनादी भी कराई जा रही है।

निगम प्रशासन द्वारा राहगीरों, श्रमिकों, देहाड़ी मजदूर, बेघरों को तेज धूप एवं लू से बचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसमें केवड़ाबाड़ी स्थित एवं ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रैन बसेरा में यात्रियों, राहगीरों एवं जिनके पास घर नहीं है ऐसे बेघर के लिए विश्राम करने एवं रुकने की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। जहां यात्री, राहगीर, बेघर, ठेला, रिक्शा चलाने वाले, श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर तेज धूप और लू से बचने के लिए विश्राम करने के साथ रह भी सकते हैं। इसी तरह शहर के रेलवे स्टेशन, घड़ी चौक, कलेक्टोरेट के सामने लोगों को पानी पिलाने के लिए पियाऊ निर्बाध रूप से संचालित हो रहे है, जहां लोगों को ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। शहर में सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी विभिन्न चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थानों में राहगीरों, लोगों, दिहाड़ी मजदूर, श्रमिकों को ठंडा पानी पिलाने के लिए पियाऊ संचालित की जा रही है। शहरवासियों को लू से बचने के उपाय की जानकारी के साथ मुनादी भी कराई जा रही है।

ताजा भोजन रखने होटलों में कराई गई मुनादी- तेज गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाते हैं। इसको देखते हुए रायगढ़ में संचालित रेस्टोरेंट, होटल, नाश्ता सेंटर आदि में मुनादी करने के साथ संपर्क कर ताजा भोजन और नाश्ता ही ग्राहकों को परोसने के निर्देश दिए गए हैं। खराब भोजन मिलने या खिलाने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

लू लगने के लक्षण- सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ, उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना, त्वचा का सूखना, गर्म होना या लाल होना, जी मिचलाना और तेज बुखार, लूज मोशन, मांसपेशियों में ऐंठन, धड़कन तेज होना आदि लक्षण हैं। इस स्थिति के शुरुआती लक्षण काफी कम होते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है। समय पर इलाज न मिलने पर मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे और मांसपेशियों से संबंधित गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

लू से बचने के करें यह उपाय- बाहरी कुछ भी खाने से बचें, हल्का एवं सात्विक भोजन करें, हल्के एवं बांह को ढकने वाले कपड़े पहनें, खाली पेट घर से बाहर न निकलें। धूप में घूमने से बचें, अधिक मात्रा में पानी पिएं, अधिक गर्मी की स्थिति में ओआरएस, नींबू पानी या नमक एवं शक्कर मिश्रण पानी पिएं।

29 जुलाई से 03 अगस्त तक होगा विशेष लोक अदालत का आयोजन

रायगढ़

माननीय उच्चतम न्यायालय में 29 जुलाई से 03 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत आयोजित होना प्रस्तावित है। जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित ऐसे मामले जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं, जिन्हें राजीनामा के माध्यम से विशेष लोक अदालत में निराकृत कराये जाने हेतु चिन्हांकित किया गया है।

माननीय अरविन्द कुमार सिन्हा, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आयोजित उक्त विशेष लोक अदालत के संबंध में आम नागरिकों में जागरूकता लाने हेतु पैरालीगल वालिंटियर्स तथा थाना के सहयोग एवं समन्वय से सार्वजनिक स्थल में सहज दृश्य भाग पर पाम्प्लेट्स एवं बैनर लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

विशेष लोक अदालत में रायगढ़ जिलान्तर्गत चिन्हांकित 05 प्रकरणों में उभय पक्षकारों को संबंधित थाना एवं मचकुरी तथा पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से नोटिस की तामीली का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य से भिन्न राज्यों में निवासरत पक्षकारों को संबंधित राज्य के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नोटिस तामिली कराई जा रही है, जिसमें पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनका विडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर रायगढ में वर्चुअल/फिजिकल प्रीसिटिंग 1 जून को किया जाना निर्धारित किया गया है। प्रीसिटिंग किये जाने हेतु प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ एवं वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ को नामित किया गया है।

मदिरा दुकानों के अहातों हेतु खोली गई निविदा 1 जून से अहातों के लिए किए जायेंगे लाइसेंस जारी

- सभी अहातों के लिए उच्चतम बोली वाले निविदादाताओं का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा एनआईसी के डेटाबेस से किया गया

रायगढ़

जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के परिसर से संलग्न अहातों, जिनमें मदिरा उपभोग की अनुमति लाइसेंस शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, के व्यवस्थापन हेतु इच्छुक निविदादाताओं से ऑनलाइन माध्यम से द्वितीय निविदा में बोलियां आमंत्रित की गई थीं, जिन्हे आबकारी विभाग से जारी निर्देशों का पालन करते हुए 27 मई 2024 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष रायगढ़ में खोला गया।

सहायक आयुक्त आबकारी रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रायगढ़ की 20 मदिरा दुकानों के अहातों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से 14 अहातों हेतु कुल 31 पात्र आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए। चयन के दिन वास्तविक कार्यवाही का संपादन करने के पूर्व निविदादाताओं को प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रक्रिया को सभी निविदादाताओं की सहूलियत के लिए बड़े परदे पर दिखाया गया। सभी 14 अहातों के लिए उच्चतम बोली वाले निविदादाताओं का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा एनआईसी के डेटाबेस से किया गया। चयनित निविदादाताओं को अपने निविदा प्रपत्र में वर्णित जानकारियों के समर्थन में मूल अभिलेखों और अग्रिम राजस्व के साथ दो कार्य दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था। सभी चयनित निविदादाताओं द्वारा आबकारी विभाग को निर्धारित अग्रिम राजस्व की अदायगी चयन के दो कार्य दिवस के भीतर कर दी गई है। जिला स्तरीय उपसमिति द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त 1 जून से 14 अहातों के लिए लाइसेंस जारी कर दिए जाऐंगे।

विभाग द्वारा पहली निविदा में कुछ दुकानों के 7 अहातों के लिए प्रथम चयनित निविदादाता के अग्रिम राजस्व जमा करने में असफल रहने पर दूसरे क्रम के निविदादाता को अवसर देने के संभावित विकल्प के स्थान पर दूसरी बार पुन: नवीन निविदा करने का निर्णय लिया गया था। इससे आबकारी विभाग रायगढ़ को इन 7 दुकानों से 70.9 लाख के स्थान पर 1.73 करोड़ रूपए लाइसेंस फीस अब प्राप्त हो सकेगी। 1 जून के पश्चात अब कुल 20 मदिरा दुकानों के अहाते प्रारंभ हो जावेंगे। जिले में अहाते हेतु प्रस्तावित दुकानों में से शेष 6 के संबंध में निर्णय आबकारी मुख्यालय रायपुर द्वारा किया जाएगा।

हीट वेव को देखते उद्योगों में 11 से 3 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग और परिवहन न करने के दिए गए निर्देश

- भीषण गर्मी में उद्योग कर्मियों व श्रमिकों के राहत हेतु जरूरी व्यवस्थाएं करने सभी उद्योग प्रबंधन को कलेक्टर गोयल ने दिए सख्त निर्देश
- उद्योगों से लगातार ली जा रही रिपोर्टिंग, अधिकारियों को निरीक्षण कर सुविधाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश

रायगढ़

जिले में संचालित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए भीषण गर्मी व राहत के लिए जरूरी व्यवस्थाएं मुहैय्या कराने को लेकर कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सभी उद्योग प्रबंधन को सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं। उद्योग कर्मियों व मजदूरों के साथ ट्रांसपोर्टिंग में लगे ट्रक ड्राइवर, खलासी, हमाल के लिए छायायुक्त बैठने की जगह, पीने का पानी, ओआरएस, कूलर इत्यादि की व्यवस्था करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। कलेक्टर गोयल ने सभी एसडीएम के साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर, खनिज और पर्यावरण अधिकारी को उद्योगों में इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। जहां लापरवाही मिले वहां कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जब तापमान अधिक होता है ऐसे में श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए कोल और फ्लाईऐश के लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन न करने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। उद्योगों से श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की लगातार रिपोर्टिंग ली जा रही है। इसके साथ ही अधिकारियों को भी निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर गोयल के निर्देश के पश्चात जिले में संचालित उद्योगों द्वारा श्रमिकों के गर्मी से राहत के लिए जरूरी व्यवस्थाएं मुहैय्या कराई जा रही हैं। पीने के ठंडे पानी के साथ भोजन और विश्राम वाली जगहों पर टेंट और छाया की व्यवस्था की गई है। कूलर और वाटर कूलर लगाए गए हैं। मटके रखे गए हैं। श्रमिकों के क्वार्टर में भी कूलर की व्यवस्था की गई है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480